राजस्थान सरकार

<u>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग</u>

क्रमांकः प.5(3)नविवि / 3 / 99पार्ट   जयपुर, दिनांक: **यथा हस्ताक्षरित**

<u>आदेश</u>

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7–ए एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत, प्राधिकरणों / नगर विकास न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित हैं, जिसके अन्तर्गत नगरीय निकायों / नगर विकास न्यासो / राजस्थान आवासन मण्डल / विकास प्राधिकरणों से संबंधित लीज के प्रकरणों के संबंध में कोविड–19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार बकाया वर्षों व अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि एकमुश्त लेकर लीज मुक्त करने व 10 वर्ष की एकमुश्त लीज लेकर भूखण्ड को फ्री होल्ड करने के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.08.2020 द्वारा छूट / रियायत प्रदान की गयी थी।

चूंकि कोविड–19 अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः उक्त आदेश द्वारा प्रदत्त छूट भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में, दिनांक 15.09.2025 से चलाये जा रहे **<u>"शहर चलो अभियान–2025 (सेवा पखवाडा)"</u>** के अन्तर्गत आयोजित **<u>"शहरी सेवा शिविर–2025" हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2025 के बिन्दु संख्या (i) (लीज राशि में छूट–उपबिन्दु i व ii)</u>** के तहत लीज राशि में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref No.:
17931254
eSign DSC

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
7. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. सहा0 निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :25-09-2025 10:02:55

RajKaj Ref No.:
17931254

eSign DSC